पत्र संख्याः110/ 2048/चार -2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ.प्र.संग्रहालय निदेशालय
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ,दिनांकः 31 मार्च 2022**

विषयः- डॉ0 आनन्द कुमार सिंह,निदेशक, उ.प्र.संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ ,स्वयं,पत्नी व पुत्री की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0- 817/उ0प्र0सं0नि0-5(94)/2020-21, दिनांक- 02 नवम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ आनन्द कुमार सिंह, निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ की स्वयं, पत्नी व पुत्री की चिकित्सा पर हुए व्यय धनराशि रू0 27,862.00 (रू0 सत्ताईस हजार आठ सौ बासठ मात्र) के भुगतान की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय-03अधिष्ठान-49-चिकित्सा व्यय, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,लखनऊ (अनुदान-92) मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-वययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्याः 110 /2022/2048/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ.प्र प्रयागराज ।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक,राज्य संग्रहालय,लखनऊ ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ ।ट
4. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ.प्र. शासन ।
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।